



बिहार सरकार

कार्यालय :- निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

Website: www.lnjporthohospital.org, E.mail- lnjpnhospital@gmail.com



आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई हेतु निविदा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ एवं बेहतर कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना है, L-II स्तरीय ट्रामा सेन्टर सहित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/पार्टनरशिप फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभार्डर्सों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत अंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग—अलग दो लिफाफों में भर कर, एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई, हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन, अपराह्न पाँच बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा प्राप्त की जायेगी, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को अपराह्न 02.00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के कार्यालय में निविदा चयन/निर्धारण समिति के समक्ष प्राप्त निविदाएँ खोली जायेगी, निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपरिस्थित रह सकते हैं अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्तों कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna के नाम से संस्था के नाम से खोली गई Current Account अथवा C.C.Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत रु0 1000/- का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर एक आवेदन (लेटर पैड पर) के माध्यम से कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती है, तत्पश्चात् ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होगें, विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान के वेबसाईट www.lnjporthohospital.org अथवा www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

- (क) संस्थान अन्तर्गत उपयोग में आने वाली सभी प्रकार के कपड़ों की आवश्यकतानुकूल प्रतिदिन/समय—समय पर धुलाई एवं ऑयरन करने (अच्छी गुणवत्ता वाली सभी सामग्री/उपकरण) से संबंधित बिन्दुवार शर्तोंनुकूलं कार्यों एवं शर्तों की विवरणी निम्नलिखित है :—
- (01) सरकार द्वारा निर्धारित सातो रंग का प्रत्येक बेड के बेडशीट (चादर) एवं तकिया का कवर को प्रतिदिन धोना एवं ऑयरन करना होगा।
- (02) प्रत्येक बेड का कम्बल, मछरदानी, पर्दा, तौलिया, टेबल क्लॉथ सहित सभी प्रकार के कपड़ों की समय—समय पर धोना एवं ऑयरन करना होगा।
- (03) प्रत्येक बेड का गद्दा को समय—समय पर साफ—सफाई एवं सेनेटाईज करना होगा।
- (04) ऑपरेशन थियेटर के कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन प्रत्येक ऑपरेशन के बाद करना होगा।
- (05) ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकों एवं पारा-मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले ऐपरॉन, ओटी० ड्रेस की धुलाई के पश्चात् ऑयरन करना होगा।
- (06) भर्ती रोगियों के लिए स्नान करने के पश्चात् उपयोग करने हेतु अगर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सरकारी कपड़ा यथा— कुर्ता, पेजामा, गाउन, लुंगी, गमछा वगैरह हो, तो उपयोग में आने के पश्चात् धोना एवं ऑयरन करना होगा।
- (07) कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन करने हेतु सारी व्यवस्था परिसर में ही करना होगा, जिसके लिए संस्थान द्वारा शेड, पानी, बिजली (बिजली कि उपयोग्यतानुकूल खर्च का भुगतान संस्था द्वारा करना होगा) उपलब्ध कराया जायेगा।
- (08) प्रत्येक प्रकार का कपड़ा धोने हेतु परिसर में ब्रांडेड कम्पनी का आवश्यकतानुकूल क्षमता का कपड़ों की धुलाई से संबंधित प्रत्येक प्रकार का Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण लगाना होगा।
- (09) संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई चादर वगैरह फटती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा खादी का संबंधित कपड़ा उपलब्ध कराना होगा, जब तक संस्थान द्वारा नये कपड़े उपलब्ध नहीं कराई जाती है तब तक अथवा संस्था द्वारा कपड़ों की रफु/सिलाई नहीं कराई जाती है तब तक।
- (10) किसी कारणवश किसी भी प्रकार का कपड़ा कट या फट जाती है तो उक्त परिस्थिति में सासमय कपड़ों की रफु/सिलाई करने हेतु (भशीन एवं धागा सहित) एक दर्जी कार्यालय अवधि तक रखना होगा, जो कार्यालय अवधि के अतिरिक्त आवश्यकतानुकूल ऑन कॉल भी उपलब्ध हो सके।
- (11) कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन करने सहित सक्षम जहग पर पहुँचाने का समय सीमा सिर्फ पाँच दिनों के लिए हीं होगा, उल्लंघन करने पर संस्था द्वारा जमा कि गई विपत्र पर अंकित राशि में से पाँच प्रतिशत राशि की कटौती करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

25-1-24

- (ख) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण—पत्रों की स्वअभिप्राप्ति तकनीकी निविदा आवेदन (पेज नं 0, 13, 14, 15 एवं 16 में दर्शाई गई प्रारूप में प्रमाण—पत्रों एवं संबंधित कागजातों की संख्या दर्शाते हुए) के साथ संलग्न करना होगा।
- (01) निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक), तकनीकी निविदा की पूर्ण विवरणी सहित निविदादाता कि पूर्ण विवरणी।
- (02) गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एकट 21, 1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा पार्टनरशिप फर्मों का पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एकट “1953” के अधीन निबंधित होना चाहिए, का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (03) संस्था के नाम से खोली गई Current Account अथवा C.C.Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत अग्रधन के रूप में 1,00,000/- (एक लाख) रुपये का Demand Draft अथवा Fixed Deposit (चयनित संस्था का एकरारनामा अवधि तक Non—Refundable) का राष्ट्रीयकृत/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत, जो Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna. के नाम देय होगा, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (04) ESIC निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (05) EPF निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (06) बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एकट “1953” के अधीन निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (07) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/पार्टनरशिप फर्मों के नाम का पैन कार्ड की छाया—प्रति संलग्न करना होगा, यदि निविदादाता प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का प्रोप्राइटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया—प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (08) GST निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (09) उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा निर्गत अद्यतन UDYAM निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (10) संस्था के नाम से खोली गई Current Account अथवा C.C.Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेंट, जो बैंक मैनेजर द्वारा अभिप्राप्ति हो) का प्रथम पृष्ठ की प्रति जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद बैंक द्वारा निर्गत हो, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।
- (11) संस्था के नाम से खोली गई Current Account अथवा C.C.Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 1,00,000/- रुपये का Solvency Certificate अथवा Demand Draft अथवा Fixed Deposit (चयनित संस्था का एकरारनामा अवधि तक Non-Refundable) का राष्ट्रीयकृत/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत, जो Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna. के नाम देय होगा, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (12) विगत तीन वर्षों (Assessment Year AY- 2021-22, 2022-23, 2023-24) का आयकर Return प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
- (13) किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में विगत तीन वर्षों (Financial Year FY- 2020-21, 2021-22, 2022-23) को मिलाकर कुल टर्न ओवर 1,50,00,000/- (एक करोड़ पच्चास लाख) रुपये होने का मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट (UDIN. नम्बर सहित) संलग्न करना होगा।
- (14) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लम्बित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (15) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी/अर्द्धसरकारी बिजली बिल/मकान कर/वाहन कर/वाहन इंश्योरेंस का भुगतान लम्बित नहीं है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (16) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लम्बित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है एवं ना ही किसी भी न्यायालय में वाद/सुनवाई के क्रम में अथवा हस्तक्षेप पर कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया है तथा ना ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

*Chitravati
25-1-24* *MV
25-1-24* *Bancha
25-1-24*

- (17) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण—पत्र (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग अद्यतन आवासीय प्रमाण—पत्र बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा।
- (18) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का पुलिस अधीक्षक/सक्षम पुलिस पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण—पत्र (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा।
- (19) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का आधार कार्ड की प्रति (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग आधार कार्ड बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (20) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का पैन कार्ड की प्रति (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग पैन कार्ड बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (21) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय/मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को कर्मियों के बैंक खाता में मानदेय/मजदूरी, का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (22) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए)। (A) मेरे द्वारा किसी भी परिस्थिति में वर्तमान अथवा भविष्य में शराब निर्माण/बिक्री/परिवालन नहीं किया जायेगा एवं ना ही उपभोग किया जायेगा। (B) अपने जीवन में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करूँगा/करूँगी। (C) अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा सेवन करने से बचाने का भरपूर प्रयास करने सहित नशा—मुक्त रखने में पूरा सहयोग करूँगा/करूँगी। (D) भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा बनाये गये नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन ईमानदारी पूर्वक करूँगा/करूँगी। (E) वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग करूँगा/करूँगी। (F) मेरे द्वारा कभी भी दहेज नहीं लिया जायेगा एवं ना ही दहेज दिया जायेगा। (G) मेरे द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं करने एवं व्यवहार में कमी पाये जाने के आलोक में कभी भी मुझे हटाया जा सकता है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (23) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था द्वारा कार्य में लापरवाही एवं गुणवत्ता में असंतोषजनक पाये जाने पर संस्थान द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण व स्पष्टीकरण का जवाब के आलोक में तीन बार असंतोष स्पष्टीकरण पाये जाने पर एकरारनामा एवं कार्यादेश रद्द करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (24) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरक्षण पालन किया जायेगा, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (25) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर भारत सरकार/भारत के किसी भी राज्य सरकार सहित बिहार राज्यान्तर्गत बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान सहित सरकारी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट—सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार—बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष/कार्य असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तोनुकूल कमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होनें का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण—पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

- (ग) वित्तीय निविदा से संबंधित बिन्दुवार शर्तोंनुकूल अवलोकन पश्चात् सभी प्रकार का खर्च जोड़कर वित्तीय प्रारूप में दर अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा, के आलोक में पूर्ण विवरणी :-
- (01) निविदा में सफल होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर (संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदा हुआ शोरूम से निकाली गई ब्रांडेड कम्पनी का कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण) खरीदा हुआ होना चाहिए।
 (A) कपड़ों की धुलाई (संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदा हुआ शोरूम से निकाली गई ब्रांडेड कम्पनी का कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine) में प्रतिकपड़ा प्रतिदिन कम्पनी द्वारा निर्धारित सामग्री की खपत, सर्विसिंग सहित सभी प्रकार का खर्च के आधार पर एकमुश्त दर अंकित करना होगा। उक्त कार्य की अनिवार्यता एवं महत्व के आलोक में औसतन खर्च की गणना से कम राशि अंकित करने पर वित्तीय निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यह मान्य नहीं होगा कि दर निर्धारण के समय न्यूनतम दर से कम दर अंकित करते हुए संस्था कहती है कि मैं अपने खर्च से कार्यों का सम्पादन एकरानामा के अनुरूप करूँगा।
 (B) कपड़ों की धुलाई प्रतिकपड़ा प्रतिदिन के आधार पर (जिसकी सम्पुष्टि लॉगबुक का अवलोकन पश्चात् ही संस्था को भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना लॉगबुक अवलोकन, संस्था को भुगतान नहीं होगा) विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (02) कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण खराब होने की स्थिति में संबंधित कार्य बाधित नहीं हो, के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एकरानामा अवधि तक कार्य की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, कपड़ों की धुलाई से संबंधित ब्रांडेड कम्पनी का अतिरिक्त Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण (संस्थान द्वारा निर्गत कार्यादेश तिथि से 90 दिनों के अंदर का ही संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदा हुआ हो, सहित शर्त "क" का क्रमांक 08 लागु) रखना होगा, से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र, कैशमेमों, कागजातों की मूलप्रति की अभिप्राप्ति छायाप्रति संस्थान के कार्यालय में जमा करना होगा।
 (A) कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण, परिसर स्थित निर्धारित जगह पर संस्था द्वारा लगाये गये कपड़ों की धुलाई से संबंधित उपकरण, के आस-पास (जिसकी दूरी 20 फीट हो) पूरी व्यवस्था के साथ रखना होगा।
 (B) कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण, हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान संस्था को नहीं की जायेगी यानि कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण, विल्कुल निशुल्क रहेगा।
 (C) यदि कार्यादेश तिथि से 90 दिनों तक संस्था द्वारा कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण, संस्थान में उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उक्त परिस्थिति में एकरानामा तिथि से प्रतिदिन के दर से पाँच हजार रुपया अगले माह के विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती कि जायेगी जब तक कपड़ों की धुलाई से संबंधित अतिरिक्त Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण, उपलब्ध नहीं कराई जाती है तब तक, अगर कार्यादेश तिथि से 120 दिनों तक कपड़ों की धुलाई से संबंधित अतिरिक्त Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण, उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उक्त परिस्थिति में एकरानामा रद्द करने का अधिकार संस्थान द्वारा गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- (03) (A) निविदा में सफल होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर (संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदा हुआ शोरूम से निकाली गई ब्रांडेड कम्पनी का कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण) से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र, कैशमेमों, कागजातों की मूलप्रति की अभिप्राप्ति छायाप्रति संस्थान के कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही संस्था के साथ संस्थान द्वारा एकरानामा किया जायेगा।
 (B) निविदा में सफल होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर (संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदा हुआ शोरूम से निकाली गई ब्रांडेड कम्पनी का कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण) संस्थान स्थित निर्धारित जगह पर उपलब्ध करना होगा, तत्पश्चात् ही संस्था के साथ संस्थान द्वारा एकरानामा किया जायेगा।
- (04) (A) 24X7 के तहत यथा—एक पाली यानि 08 घंटा × 03 कर्मी × 03 पाली के तहत कार्य करने हेतु कुल 09 कर्मियों को रखना होगा।
 (B) संस्था द्वारा संस्थान में उपलब्ध कराई गई कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण में अचानक खराबी यदि होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए अविलम्ब कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री

/उपकरण की मरम्मती एवं रख—रखाव हेतु 24X7 के तहत 01 मिस्ट्री को (कार्य करने हेतु आवश्यकतानुकूल ऑन कॉल भी बुलाया जा सकता है, जिसका भुगतान प्रतिदिन के आधार पर किया जायेगा) रखना होगा।
(C) संस्था द्वारा संस्थान में कि जा रही अपने कार्यों कि प्रत्येक पाली की निगरानी हेतु निविदा शर्तनुकूल संबंधित कार्य अनुकूल सुपरवाईजर रखना होगा, जो 24X7 के तहत यथा—एक पाली यानि 08 घंटा × 01 सुपरवाईजर × 03 पाली के तहत कार्य करने हेतु कुल 03 सुपरवाईजरों को रखना होगा। जिसका कार्य तीनों पाली के अवधि तक सुपरवाईजरी करना होगा एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कार्यों को निविदा शर्तनुकूल सुचारू रूप से संचालन करने सहित संस्था द्वारा संस्थान में कि जा रही अपने कार्यों से संबंधित कर्मियों की उपस्थिति एवं लॉगबुक का संसमय संधारण करना होगा।

(D) कर्मियों से संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश सहित समय—समय पर किसी Occasion/अवसर पर संबंधित कर्मियों द्वारा लिया गया अवकाश के दिन संबंधित कार्य में किसी भी प्रकार का Blockage/अवरोध उत्पन्न नहीं हो, को ध्यान में रखते हुए उक्त दिनों में निविदा शर्तनुकूल कार्य करने हेतु एक अतिरिक्त कर्मी, एक अतिरिक्त मिस्ट्री एवं एक अतिरिक्त सुपरवाईजर (कार्य करने हेतु आवश्यकतानुकूल ऑन कॉल भी बुलाया जा सकता है, जिसका भुगतान प्रतिदिन के आधार पर किया जायेगा) रखना होगा।

(E) सभी स्तर के कर्मियों का मानदेय, ESIC,EPF एवं सर्विस चार्ज सहित सभी प्रकार का खर्च जोड़कर एकमुश्त दर अंकित करना होगा।

(F) कर्मियों की विवरणी संस्था द्वारा प्रतिमाह अपने किये गए कार्यों के आलोक में विपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

- (05) रोगी के हित में संस्थान की भवनों एवं परिसर का विस्तार किया जा रहा है विस्तार होने के उपरान्त संबंधित कार्यों की क्षमता की वृद्धि हो जायेगी, उक्त परिस्थिति में शर्तनुकूल संबंधित कार्य एकरारनामा अवधि तक करना होगा, उसके लिए निविदा चयन/निर्धारण समिति द्वारा अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान हेतु निर्धारित L1 दर के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(A) कपड़ा धुलाई से संबंधित (संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदा हुआ शोरूम से निकाली गई ब्राण्डेड कम्पनी का कपड़ों की धुलाई से संबंधित Best Fully Automatic Washing Machine सहित सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण) उपलब्ध कराना होगा। उसके लिए संस्थान द्वारा सभी खर्च सहित समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुकूल निर्धारित प्रतिकपड़ा प्रतिदिन के दर पर प्रतिमाह देय होगा, इसके अतिरिक्त सर्विसिंग एवं सभी प्रकार का खर्च सहित प्रतिकपड़ा प्रतिदिन के लिए निर्धारित L1 दर के आधार पर निविदा चयन समिति के द्वारा क्षमतानुकूल प्रतिकपड़ा प्रतिदिन का दर निर्धारण कर भुगतान किया जायेगा।

- (06) वित्तीय निविदा में GST (समय—समय पर GST में होने वाले संशोधित नियम लागू होंगे) रहित दर अंकित करना होगा।

- (07) भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत Income Tax (TDS) एवं GST अधिनियम के अंतर्गत कटौती करने के उपरांत हीं विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

- (08) संस्था एवं संस्था द्वारा बहाल कर्मियों को ESIC एवं EPF संबंधित कुल राशि सक्षम विभाग में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा।

- (09) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों का सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय/मजदूरी, भुगतान सहित दूसरे सप्ताह के अन्दर ESIC,EPF का भुगतान संस्था द्वारा जमा करने के पश्चात् हीं संस्थान द्वारा संस्था को उक्त माह का भुगतान किया जायेगा, निर्धारित समय पर संस्था द्वारा कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संबंधित माह का एक तारीख से लेकर कर्मियों को भुगतान करने कि तिथि तक एक सौ रुपया प्रतिदिन प्रतिकर्मी के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

- (10) श्रम नियमों के अनुसार चयनित संस्था द्वारा कर्मियों को कि गई विगत माह का वेतनादि भुगतान से संबंधित प्रमाण—पत्र (उक्त कर्मियों का बैंक पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति) (**Undertaking**), ESIC तथा EPF का अद्यतन नियमों के अनुसार विगत माह (अंतिम भुगतान माह) GST मद में जमा की गई राशि का चालान (निविदा आमंत्रण सूचना के साथ अंतिम पृष्ठ पर वेतनादि से संबंधित संलग्न प्रारूप में साक्ष्य के साथ शर्तनुकूल क्रमवार भरकर देना होगा) का संबंधित विभाग अथवा ऑनलाईन सत्यापन करने/कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर हीं संस्थान द्वारा संस्था को भुगतान किया जायेगा, संबंधित चालान, ई—फाईलिंग एवं कागजातों कि अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रत्येक माह के अपने विपत्र के साथ संलग्न कर संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।

- (11) संस्था द्वारा संस्थान में आउटसोर्सिंग संबंधित कार्य को प्रतिमाह निष्पादन करने के पश्चात् प्रतिमाह अपने किये गए कार्यों के आलोक में विपत्र पर अंकित राशि के अतिरिक्त GST एवं अन्य प्रकार का कर जोड़ कर संस्थान के सक्षम कार्यालय में विपत्र जमा करना होगा।

- (12) निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 10 में दर्शाई गई Current Account अथवा C.C.Account से हीं (एकरारनामा अवधि तक संस्था द्वारा तकनीकी निविदा आवेदन में दर्शाई गई उक्त बैंक खाता को बदलना नहीं होगा, जब तक किसी

- अन्य बैंक में उक्त बैंक विलय नहीं हो जाता है तब तक) सभी प्रकार का भुगतान (मानदेय, ESIC, EPF, GST, DD, FD, सभी प्रकार का कर एवं सभी प्रकार का सामग्री/उपकरण कि खरीदारी सहित निविदा शर्त से संबंधित कार्य के आलोक में सभी प्रकार का खर्च) संबंधित लेन—देन करना होगा, यदि निविदादाता द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर कार्यादेश एवं एकरानामा रद्द करते हुए कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
- (13) सरकार के अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, द्वारा निर्गत विभागीय पत्रांक 241(1) दिनांक 26/02/2020 एवं सचिव संसाधन, वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत विभागीय ज्ञापांक 2988 दिनांक 23/02/2023 के आलोक में संस्था एवं कर्मियों द्वारा पालन करने के पश्चात् ही उक्त माह का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा।
- (14) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत पत्रांक File No. SHSB/NGO/32/05-3077 Dated: 05/04/2007 के आलोक में संस्था द्वारा पालन करने के पश्चात् ही संस्थान द्वारा संस्था का सेवा विस्तार किया जायेगा।
- (15) संस्था द्वारा कर्मियों को संस्थान में कार्य करने से पहले कर्मियों को नियुक्ति पत्र देना होगा।
- (16) निविदा में सफल उपरान्त संस्थान में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निविदादाता को letter of intent, agreement पश्चात् work order दिया जायेगा।
- (17) कार्य आवंटन हेतु चयनित संस्था को आशय—पत्र प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर Performance Security के रूप में संस्था को एक वर्ष की अवधि में अनुमानित कुल भुगतेय राशि का दस प्रतिशत (Refundable) तक “Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna” के पक्ष में भुगतेय किसी भी राष्ट्रीयकृत/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफट अथवा बैंक गारन्टी अथवा Fixed deposit संस्था द्वारा जमा करना होगा, तत्पश्चात् संस्था के साथ एकरानामा कर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- (18) निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि संस्थान का भली—भौति निरीक्षण एवं निविदा में दर्शाई गई सभी बिन्दुवार शर्तों का अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा समर्पित करना उनके लिए श्रेयस्कर होगा।
- (19) यदि सरकार द्वारा दिशा—निर्देश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन कर सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश का पालन करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
- (20) किसी कारण से कार्यादेश निर्गत नहीं होने के आलोक में वित्तीय निविदा खोलने के 120 दिन तक ही निविदा की वैद्यता होगी, के आलोक में संस्थान द्वारा निविदा रद्द की जा सकती है।
- (21) यदि दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से L1 दर का चयन किया जायेगा।
- (22) निविदा चयन/निर्धारण समिति द्वारा तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा खोलने के समय संस्थान द्वारा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराया जायेगा।

(घ) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की पूर्ण विवरणी :—

- (01) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के अध्यक्ष अथवा सचिव, पार्टनरशिप फर्मों के मैनेजिंग पार्टनर, प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का प्रोप्राईटर ही निविदा डालने हेतु निविदादाता के रूप में अधिकृत होंगे, किसी भी परिस्थिति में संस्था के अन्य पदधारक, सदस्य अथवा अन्य कोई व्यक्ति निविदा डालने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
- (02) वैशिक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्तोंनुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (03) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि चयनित संस्था द्वारा विभिन्न पदों पर बहाल कर्मियों (विभिन्न पदों पर बहाल कर्मियों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर (A) मेरे नाम पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय/थाना/विभाग/कार्यालय/संस्थान/संस्था द्वारा दण्डित किया गया है। (B) मेरे द्वारा किसी भी परिस्थिति में वर्तमान अथवा भविष्य में शराब निर्माण/बिक्री/परिचालन नहीं किया जायेगा एवं ना ही उपभोग किया जायेगा। (C) अपने जीवन में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करूँगा/करूँगी। (D) अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा सेवन करने से बचाने का भरपूर प्रयास करने सहित नशा—मुक्त रखने में पूरा सहयोग करूँगा/करूँगी। (E) भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा बनाये गये नशे से सम्बंधित सभी कानूनों का पालन ईमानदारी पूर्वक करूँगा/करूँगी। (F) वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग करूँगा/करूँगी। (G) मेरे द्वारा कभी भी दहेज नहीं लिया जायेगा एवं ना ही दहेज दिया जायेगा। (H) मेरे द्वारा शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक, चरित्र, आवास, जाति कोटि सहित अन्य कागजात साक्षात्कार के समय जमा कि गई है, जो सही एवं सत्य है। (I) मेरे द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरण: पालन किया जायेगा। (J) मेरे नाम पर पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी/अर्द्धसरकारी बिजली बिल/मकान कर/वाहन इंश्योरेंस का भुगतान लम्बित नहीं

है। (K) मेरी बहाली के समय किसी के दबाव अथवा स्वेच्छा से संस्थाया संस्थान के किसी भी पदाधिकारी को किसी भी प्रकार की राशि का लेन देन मेरे द्वारा नहीं किया गया है। (L) मेरे द्वारा किसी भी परिस्थिति में वर्तमान अथवा भविष्य में भर्ती रोगियों अथवा रोगी के परिजनों से किसी भी प्रकार की राशि का कभी भी लेन देन नहीं किया जायेगा। (M) संस्था के द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत वर्तमान संस्थान में कार्य करने के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान अथवा संस्था में मैं कार्य नहीं करता/करती हूँ। (N) मेरे द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं करने एवं व्यवहार में कभी पाये जाने के आलोक में कभी भी मुझे हटाया जा सकता है। जो कर्मियों द्वारा कार्य प्रारम्भ तिथि के एक दिन पहले तक शपथ—पत्र (निविदा आमंत्रण सूचना के साथ अंतिम पृष्ठ पर शपथ—पत्र से संबंधित संलग्न शपथ—पत्र प्रारूप में शर्तोनुकूल क्रमवार भरकर उक्त शपथ—पत्र को कर्मियों से प्राप्त कर संस्था के माध्यम से देना होगा) बनवाकर संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा।

- (04) संस्था द्वारा बहाल कर्मियों (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास हैं) का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण—पत्र, जाति एवं कोटि प्रमाण—पत्र, तथा उक्त जिला के पुलिस अधीक्षक/सक्षम पुलिस पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र सहित कर्मियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक ESIC. NO, EPF. NO, की छायाप्रति प्रत्येक विपत्र के साथ संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।
- (05) संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मी को किसी भी समय पद के अनुरूप कार्य करने में असक्षम पाया जाता है या उनके कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है या उनके द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/अपराध या कदाचार करते हुए पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा वैसे कर्मियों को अविलम्ब हटाते हुए दूसरे कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा, साथ ही उक्त कर्मियों को कार्य मुक्त करते हुए उचित फोरम पर कर्मियों के विरुद्ध नियमानुकूल कारबाई करने का अधिकार संस्थान या संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।
- (06) संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मी यदि काम छोड़ना चाहता है तो उसे कार्य मुक्त करने से पूर्व उस पद के लिए योग्य व्यक्ति को संस्था द्वारा संस्थान में उपलब्ध कराना होगा।
- (07) संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मियों को संस्थान के द्वारा कोई आवास/यात्रा या संबंधित भत्ता जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
- (08) संस्था को किसी भी संस्थान द्वारा पूर्व में काली सूची में डाला गया हो इसकी जानकारी प्राप्त होने पर उनके साथ हुए एकरारनामा एवं उनके पक्ष में निर्गत कार्यादेश को तत्काल रद्द करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित होगा।
- (09) संस्था के द्वारा कार्यों से संबंधित लॉगबुक यानि पेज संख्या 26 एवं 29 से 39 (जिसकी सम्पुष्टि लॉगबुक यानि पेज संख्या 26 एवं 29 से 39 का अवलोकन पश्चात् ही संस्था को भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना लॉगबुक यानि पेज संख्या 26 एवं 29 से 39 अवलोकन, संस्था को भुगतान नहीं होगा) का संधारण करना होगा, जिसकी विवरणी संस्थान द्वारा निर्गत निविदा शर्त के साथ संलग्न प्रारूप में हीं करना होगा।
- (10) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण—पत्रों/कागजातों/शपथ—पत्र में दर्शाई गई सूचना का संस्थान द्वारा संबंधित विभाग से सत्यापन करने व सत्यापन (सत्यापन उपरांत समर्पित कागजात/दस्तावेज फर्जी पायी जाती है तो उक्त परिस्थिति में एकरारनामा एवं कार्यादेश रद्द करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा) कराने के दौरान सही एवं सत्य पाये जाने के पश्चात् ही संस्था द्वारा किये गये कार्यों के आलोक में विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्था को संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (11) किसी भी आम नागरिक (नाम या बगैर नाम) द्वारा निविदा शर्तोनुकूल संस्था द्वारा उल्लंघन कर डाले गये निविदा संबंधित साक्ष्य के तहत संस्था के विरुद्ध संस्थान को आवेदन प्राप्त होता है तो उक्त परिस्थिति में प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों/साक्ष्य के आधार पर सत्यता की सत्यापन कराने के पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा यदि सत्यापन के दौरान आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप सही एवं सत्य पाया जाता है तो निविदा शर्तोनुकूल उक्त दिनांक को ही संस्था पर कानूनी कारबाई करते हुए विपत्र पर अंकित राशि एवं अग्रधन राशि सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करने सहित संस्थान द्वारा संस्था को पूर्व में किये गये भुगतान राशि की वसूली कर सरकारी खजाने में जमा करते हुए अगले दस वर्षों तक के लिए संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- (12) किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर के व्यापार करने वाले कोई भी व्यापारी इस निविदा में इस शर्त के तहत भाग ले सकते हैं, बशर्ते शर्त “ख” में दर्शाई गई बिन्दुवार शर्तों का पालन करते हो।
- (13) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न किए गए प्रमाण—पत्रों में से जिन प्रमाण—पत्रों की अवधि निर्धारित है, यदि एकरारनामा समाप्त होने की तिथि से पहले प्रमाण—पत्रों की अवधि समाप्त होती है तो अवधि समाप्त होते हीं उक्त प्रमाण—पत्रों का सेवा विस्तार संबंधित सक्षम विभाग से करा कर संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।
- (14) तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्तोनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यथार्थ सभी शपथ—पत्र (मूल में) एवं प्रमाण—पत्रों कि अभिप्रमाणित छायाप्रति को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (15) निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण—पत्रों का निविदा चयन/निर्धारण समिति द्वारा निविदा खोलने के दौरान निविदा शर्तोनुकूल संस्था द्वारा जमा की गई प्रमाण—पत्रों का मूल प्रति से मिलान करने के पश्चात् सभी शर्तों को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का हीं वित्तीय निविदा चयन/निर्धारण समिति के समक्ष खोला जायेगा।
- (16) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण—पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निबंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिसका निबंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अलाई फॉर) दिया गया हों।
- (17) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त स्थिति में निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (18) कर्मियों के कार्य प्रारम्भ तिथि के दिन को कर्मियों की सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र से ज्यादा एवं न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कर्मियों द्वारा कार्य करने के दौरान उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाती है तो उक्त परिस्थिति में सरकार द्वारा 60 वर्ष से ऊपर कार्य करने से संबंधित नियमावली (सरकार के द्वारा अद्यतन दिशा—निर्देश प्रभावी होगा) यदि होती है तो संस्था द्वारा उक्त कर्मियों को कार्य करने हेतु पुनः रखा जा सकता है।
- (19) निविदा शर्तोनुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा, इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- (20) किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा, भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर ब्याज देय नहीं होगा, इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (21) यह कार्य आउटसोर्सिंग व्यवस्था के आधार पर किया जा रहा है, इसके अंतर्गत संस्था द्वारा उपलब्ध किसी भी कर्मी का सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमितकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (22) यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
- (23) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण—पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व/पश्चात् अथवा एकरानामा होने के पूर्व/पश्चात् अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व/पश्चात् अथवा किसी भी समय जांचोपरांत फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ—पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरुद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई की जाएगी तथा तत्काल उक्त संस्था को अगले 10 वर्षों तक के लिए काली सूची में नाम दर्ज करने सहित निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त करते हुए कार्यादेश रद कर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- (24) कर्मियों को संस्थान के सभी स्तर के पदाधिकारियों, कर्मियों, भर्ती रोगियों एवं रोगियों के परिजनों के प्रति व्यवहार मृदु एवं सहयोगात्मक होना चाहिए, यदि व्यवहार संस्थान द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में वैसे कर्मी को तत्काल हटाते हुए नए कर्मी को संस्था द्वारा रखा होगा।
- (25) संस्थान एवं संस्था के बीच तीन वर्षों के लिए कार्य करने हेतु एकरानामा करने के पहले संस्था द्वारा निविदा शर्तोनुकूल बिन्दुवार एवं क्रमवार सभी शर्तों के तहत संतोषप्रद कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा संस्था को निविदा शर्तोनुकूल संतोषप्रद कार्य करने हेतु TRIAL BASIS परीक्षण के आधार पर) सिर्फ बारह (12) माह के लिए एकरानामा पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, संस्था द्वारा निविदा शर्तोनुकूल बिन्दुवार एवं क्रमवार सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् एवं सुचारू रूप से कार्य संतोषप्रद रहने पर हीं इस संस्थान की निविदा निर्धारण समिति अथवा रोगी कल्याण समिति अथवा निदेशक के अनुमोदनोपरांत दो (02) वर्षों के लिए एकरानामा संस्थान एवं संस्था के बीच किया जायेगा, संस्था द्वारा बारह (12) माह के अन्दर आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित निविदा शर्तोनुकूल बिन्दुवार एवं क्रमवार कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था के विरुद्ध नियमानुकूल निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (26) सामग्रियों की महंगाई, श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक छः माह पर कर्मियों का मानदेय/मजदूरी में वृद्धि एवं अन्य प्रकार का खर्च की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित L1 दर में (समय—समय पर सरकार/श्रम विभाग/बाजार द्वारा बढ़ोतरी के आलोक में कार्य संतोषप्रद रहने पर हीं इस संस्थान की निविदा निर्धारण समिति अथवा रोगी कल्याण समिति के अनुमोदनोपरांत) कुछ / नहीं, प्रतिशत राशि बढ़ोतरी करते हुए पुनः प्रत्येक एक वर्षों के पश्चात बढ़ोतरी दर को L1 दर में जोड़कर उक्त कुल राशि को L1 दर मान कर सेवा संतुष्टि के आधार पर प्रत्येक एक वर्षों पर बढ़ोतरी करते हुए संस्थान द्वारा संस्था को भुगतान किया जायेगा।
- (27) समय—समय पर सरकार द्वारा निर्धारित कर्मियों का मानदेय/मजदूरी, ESIC,EPF एवं अन्य प्रकार के भत्ते में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार कि कमी या वृद्धि की जाती है, के आलोक में संस्था द्वारा कर्मियों को देय होगा, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर वित्तीय निविदा में AVERAGE {औसत} एकमुश्त वित्तीय निविदा प्रारूप में दर अंकित करना होगा, क्योंकि TRIAL BASIS परीक्षण के आधार पर बारह (12) माह के लिए संस्थान द्वारा

निर्गत कार्यादेश/एकरारनामा अवधि तक व सेवा विस्तार से पहले किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की राशि का संस्थान द्वारा बढ़ोतरी नहीं किया जायेगा।

- (28) निविदा में सफल होने के पश्चात् सिर्फ निविदादाता यथा संस्था का अध्यक्ष या सचिव या मैनेजिंग पार्टनर या प्रोपराईटर (इस शर्त पर एकरारनामा किया जायेगा जब संस्था के सभी पदधारक, सदस्य विधिनिधि नहीं} संस्थान के साथ एकरारनामा करने हेतु निर्धारित तिथि को अधिकृत सक्षम पदाधिकारी के समक्ष अपने पहचान – पत्र (आधार कार्ड एवं पैन कार्ड यानि दोनों) के साथ उपस्थित रहेंगे यदि निर्धारित तिथि के दिन एक भी पदधारक, सदस्य अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था के साथ एकरारनामा नहीं कर L2 दर वाले संस्था के साथ L2 दर को L1 दर मान कर एकरारनामा कर दिया जायेगा) को अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000/-NON JUDICIAL STAMP पर एकरारनामा करना होगा।
- (29) संस्थान के पास कारण बताते हुए निविदा पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं संस्थान का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना, बिहार होगा।
- (30) L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक क्रमवार पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा, बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले अथवा किसी भी आरोप के कारण बर्खास्त/रद्द किये गये संस्था से हुई रिक्तियों को इसी पैनल के L2 दर अंकित करने वाले संस्था से L1 के दर पर उक्त कार्य को कराया जायेगा, यदि L1 के दर पर L2 दर अंकित करने वाली संस्था कार्य करने में असमर्थता जताती है तो उक्त परिस्थिति में L3 से लेकर सभी तकनीकी रूप से सफल संस्था से L1 दर पर कार्य करने हेतु इच्छुक संस्थाओं को क्रमवार अवसर प्रदान किया जाएगा, साथ हीं L1 दर अंकित करने वाले संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
- (31) L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक क्रमवार पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा, कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व/पश्चात् L1 दर अंकित करने वाले संस्था द्वारा अपने निविदा आवेदन के साथ जमा किये गये कागजातों को संस्थान द्वारा सत्यापन (निर्गत विभागों से) कराने के दौरान फर्जी पाई जाती हैं अथवा निविदा शर्तोनुकूल प्रमाण–पत्रों/कागजातों की संख्या में कमी पाई जाती है तो L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L2 दर को L1 दर मान कर L2 दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।
- (32) संस्था के तहत बहाल कर्मियों का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बीमा कम्पनी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत किसी भी प्रकार का कैशलेश अथवा कैशलेश जैसा स्वास्थ्य बीमा (कम से कम पाँच लाख रुपया प्रतिवर्ष, किसी भी न्यूनतम उम्र से अधिकतम आजीवन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता रहे, से संबंधित बीमा, जो कर्मियों द्वारा अपने खर्च से बीमा करवाना होगा तथा समय पर प्रीमियम राशि जमा करना होगा) अनिवार्य होना चाहिए, Policy Bond की छायाप्रति कर्मियों से प्राप्त कर संस्था द्वारा संस्थान में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं संस्थान में कर्मियों को कार्य करने हेतु अनुमति दिया जायेगा।
- (33) संस्था के तहत बहाल कर्मियों का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बीमा कम्पनी द्वारा निर्गत पेंशन योजना अन्तर्गत किसी भी प्रकार का पेंशन अथवा पेंशन जैसा पेंशन बीमा (कम से कम पाँच हजार रुपया प्रतिमाह, जो किसी भी न्यूनतम उम्र से अधिकतम कम से कम 75 वर्षों तक अथवा आजीवन पेंशन प्राप्त होता रहे, से संबंधित बीमा, जो कर्मियों द्वारा अपने खर्च से बीमा करवाना होगा तथा समय पर प्रीमियम राशि जमा करना होगा) अनिवार्य होना चाहिए, Policy Bond की छायाप्रति कर्मियों से प्राप्त कर संस्था द्वारा संस्थान में कार्य प्रारम्भ करने के तीन माह के अन्दर सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं संस्थान में तीन माह के पश्चात् कर्मियों को संस्थान में आगे कार्य करने हेतु अनुमति दिया जायेगा।
- (34) कार्य अवधि के समय कर्मियों द्वारा संस्थान एवं संस्था का नाम, पदनाम छपा हुआ निर्धारित आई कार्ड, पहनने एवं समय पर कार्य करते हुए नहीं पाये जाने पर उक्त कर्मियों के मानदेय में से संस्था द्वारा एक सौ रुपया प्रतिदिन के दर से कटौती कर उक्त राशि को चेक के माध्यम से रोगी कल्याण समिति के खाता में जमा करना होगा।
- (35) कर्मियों को मास्क, टोपी, दस्ताना एवं अन्य सुरक्षात्मक वस्तुओं को पहनना अनिवार्य होगा, कार्य निष्पादन करने वाले कर्मियों बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए उनको टाइफाईड, संक्षण एवं अन्य कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, के आलोक में प्रत्येक तीन माह पर स्वास्थ्य जॉच कराने के पश्चात् स्वस्थ होने का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।
- (36) तकनीकी रूप से सफल होने के पश्चात् यदि कोई संस्था वित्तीय निविदा में L1 दर हो जाता है, के आलोक में उक्त संस्था द्वारा जमा कि गई तकनीकी निविदा के साथ संलग्न प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के दौरान नाम/पता बगैरह (निबंधन संख्या में नहीं सिर्फ नाम/पता में) में किसी भी प्रकार कि शब्दों में कुछ गलती लिखा हुआ पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था को लिखित अवगत कराने के पश्चात् एकरारनामा होने की तिथि से छः (06) माह के अन्दर संबंधित निर्गत विभाग से नाम एवं पता में सुधार कर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि को जब्त

करते हुए एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा तथा L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L1 दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।

- (37) बाल श्रम तथा अन्य आपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।
- (38) संस्थान अन्तर्गत संस्था द्वारा सखी एवं लगाई गई सभी प्रकार के (सेवा विस्तार नहीं होने के आलोक में) सामग्री एकरारनामा अवधि समाप्त होने अथवा नये चयनित संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर संस्थान से हटाना होगा। तत्पश्चात् ही 36वां माह का विपत्र का भुगतान एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमाण्ड झ्रॉफ्ट वापस किया जायेगा, अन्यथा संस्थान द्वारा सभी सामग्री जब्त करते हुए संस्था/निविदादाता पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानुनी कार्रवाई की जाएगी, इसके अतिरिक्त संस्था/निविदादाता पर प्राथमिकी दर्ज करने के आलोक में न्यायालय के निर्णय आने की तिथि तक एकरारनामा समाप्त होने की तिथि से एक हजार रुपया प्रतिदिन की दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त 36वां माह का विपत्र एवं संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि में से कटौती करने के पश्चात् शेष राशि का भुगतान किया जायेगा, जिसके लिए संस्था पूर्ण रुपेण जिम्मेवार होगा।
- (39) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराई जा रही विभिन्न प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन संबंधित अभियान के आलोक में कायाकल्प कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य स्तरीय अवॉर्ड कमिटी से कराई गई बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत प्रोत्साहन हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर सफल आनेवाले संस्थान को प्रोत्साहित की जाती हैं। यदि यह संस्थान उस दायरे में चयन होता है, के आलोक में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाले संस्था को संस्थान द्वारा 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त जैसे समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष प्रशस्ति पत्र एवं अन्य सामग्री से सम्मानित किया जायेगा।
- (40) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत की जा रही कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित संस्थान के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा रोगी के हित में अथवा जनहित में प्रभारी पदाधिकारी से की गयी लिखित शिकायत आवेदन पर संस्थान/राज्य स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य विभाग अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा जाँचोपरान्त दोषी पाये जाने के पश्चात् ही संस्था को दण्डित अथवा आर्थिक दण्ड अथवा कार्यमुक्त किया जायेगा।
- (41) संस्था द्वारा निविदा शर्तोनुकूल बिन्दुवार एवं क्रमवार सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् एवं सुचारू रूप से कार्य संतोषप्रद रहने पर ही इस संस्थान की निविदा निर्धारण समिति अथवा रोगी कल्याण समिति अथवा निदेशक के अनुमोदनोपरांत एकरारनामा अवधि समाप्त होने की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए सेवा विस्तार किया जायेगा।
- (42) संस्था द्वारा तकनीकी/वित्तीय निविदा खोलने के बाद यदि संस्था अपना तकनीकी/वित्तीय निविदा वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले सकते हैं, परन्तु कार्यादेश प्राप्त करने के पश्चात् संस्था अपना कार्य प्रारम्भ नहीं करती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
- (43) कार्यों को सुचारू रूप से संचालन से संबंधित मिन्न-मिन्न प्रकार के सामग्री का रख-रखाव एवं कर्मियों, श्रमिकों को रहने हेतु संस्थान द्वारा temporary कमरा अथवा सेड उपलब्ध कराया जायेगा, किसी भी परिस्थिति में निविदादाता द्वारा परिसर अथवा भवन के अन्दर कोई भी स्थाई निर्माण संबंधित कार्य अपने स्तर से नहीं कराया जायेगा।
- नोट :- (01) निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए बिन्दुवार एवं क्रमवार शर्तोनुकूल उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नहीं करेंगे यदि निविदादाता द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (02) जिस संस्था पर भारत सरकार/भारत के किसी भी राज्य सरकार सहित बिहार राज्यान्तर्गत बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान सहित सरकारी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट-सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष/कार्य असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तोनुकूल कमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो

- अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण—पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग /सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो तो उक्त परिस्थिति में वैसी आरोपित संस्था इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
- (03) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों में से किसी की मृत्यु हो गई हो अथवा किसी कारणवश संस्था से निकाल दिये गये हों अथवा सदस्यता का परित्याग कर दिया हो, के आलोक में संस्था द्वारा पदधारक/सदस्यों के रिक्त पद पर (सक्षम विभाग द्वारा निर्गत अनुमति प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि से पहले का पत्र निर्गत हो) किसी अन्य व्यक्ति को पदस्थापन/Amendment नहीं कराया गया है अथवा यदि संस्था के पद अकारण रिक्त हो तो उक्त परिस्थिति में वैसी संस्था निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
- (04) तकनीकी/वित्तीय एवं शपथ—पत्र (निविदादाता सहित संस्था के सभी पद के पदधारक एवं सदस्यों द्वारा) निविदा शर्त के साथ संलग्न तकनीकी/वित्तीय एवं शपथ—पत्र संबंधित प्रारूप (कम्प्यूटरीकृत अंकित) में ही भर कर अपने निविदा आवेदन के साथ देना होगा, निविदादाता/पदधारक एवं सदस्यों द्वारा किसी भी परिस्थिति में तकनीकी/वित्तीय एवं शपथ—पत्र प्रारूप में एक भी शब्द संशोधन नहीं किया जायेगा, के आलोक में एक भी शब्दों का संशोधन करने संबंधित साक्ष्य प्राप्त होने पर उक्त संस्था का निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- (05) निविदा आवेदन के साथ सभी शर्तों से संबंधित प्रमाण—पत्रों की स्व० अभिप्राप्तित छाया—प्रति का क्रमवार नम्बरिंग (स्व० अभिप्राप्तित, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने पर उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा) कर के निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा।
- (06) संबंधित कार्य को सूचारू रूप से संचालन हेतु निविदादाता सहित संस्था के पदधारक/सदस्य/मैनेजींग पार्टनर/प्रोप्राईटर निविदा शर्तानुकूल एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय पर कार्य कर सकते हैं।
- (07) चयन पश्चात् संस्थान एवं संस्था के बीच कि गई एकरारनामा अवधि के दौरान किसी कारणवश निविदादाता (पदधारक) की मृत्यु हो जाती है, तो उक्त परिस्थिति में गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों के सक्षम पदधारक/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का निविदादाता (प्रोप्राईटर) की नॉमिनी द्वारा एकरारनामा अवधि अथवा कार्य की महत्ता एवं अनिवार्ता को ध्यान में रखते हुए संस्थान जब तक कार्य करवाना चाहती है तब तक कार्य का निष्पादन सुचारू रूप से करना होगा।
- (08) L-II स्तरीय ट्रामा सेन्टर सहित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत निविदा के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा कि जा रही दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार का कार्य करने वाली संस्था इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
- (09) नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी बिन्दुओं को महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य समझा जाए, यदि निविदादाता द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् किसी भी समय संस्था द्वारा कि गई उल्लंघन का पता चलता है तो उक्त परिस्थिति में कार्यादेश एवं एकरारनामा रद्द करते हुए संस्थान द्वारा कि गई सभी भुगतान राशि की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- (10) निविदा आमंत्रण सूचना के साथ पृष्ठों की क्रमवार संख्या 01 से 39 यानि कुल 39 पृष्ठ है।

Bancha
25/1/24
निदेशक,

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत प्रतिदिन कपड़ों की धुलाई हेतु निविदा के शर्त (उपरोक्त वर्णित) को निविदा निर्धारण समिति के निम्नलिखित हस्ताक्षरित सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया एवं निविदा प्रारूप प्रकाशन के लिए निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को अधिकृत किया जाता है।

1. डॉ० सुभाष चन्द्रा, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना। :-

Bancha
25/1/24

2. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

G.V.D.
26.1.24
25/1/24

Bancha
25/1/24

3. प्रबंध निदेशक, BMSICL बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-


4. श्री अनिल कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना सह सदस्य। :-


25/1/24

5. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-


25/1/24


6. डॉ० शिवेन्द्र कुमार सिंह, परामर्शी हड्डी रोग सह सदस्य एल० एन० जे० पी०, अस्पताल, पटना। :-



25/1/24

7. डॉ० सरसिज नयनम, रेजिडेंट सह सदस्य, एल० एन० जे० पी०, अस्पताल, पटना। :-


25/1/24

8. डॉ० मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी सह सदस्य, एल० एन० जे० पी०, अस्पताल, पटना। :-


25/1/24


25/1/2024
निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

तकनीकी निविदा की पूर्ण विवरणी (शर्त “ख” का क्रमांक 01) का प्रारूप

क्र. सं०	प्रमाण पत्रों, ड्रॉफ्ट एवं शपथ पत्रों की पूरी विवरणी	निबंधन सं०/पत्रांक सं०/अन्य संख्या वर्गेरह	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों का क्रमावार क्रमांक	कागजातों की कुल संख्या
01	तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित) एवं तकनीकी निविदा की पूर्ण विवरणी सहित निविदादाता कि पूर्ण विवरणी।			01 To	
02	संस्था का निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
03	अग्रधन राशि, 01,00,000/- रूपये का DD/FD.			To	
04	ESIC निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
05	EPF निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
06	बिहार शॉप्स एण्ड इस्टेलिशमेंट एक्ट “1953” के अधीन निबंधन का प्रमाण—पत्र।			To	
07	पैन कार्ड की प्रति।		X	To	
08	GST निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
09	उद्योग विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
10	Current / C.C.Account बैंक एकाउन्ट नं० सहित।			To	
11	Solvency Certificate/ DD/FD. 1,00,000/- रूपये का।			To	
12	विगत तीन वर्षों (Assessment Year) का आयकर रिटर्न की प्रति।	2021-22 :- 2022-23 :- 2023-24 :-		To To To	
13	विगत तीन वर्षों (Financial Year) को मिलाकर कुल टर्न ओवर 1,50,00,000/- रूपये की प्रति।	2020-21 :- 2021-22 :- 2022-23 :-		To To To	
14	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लम्बित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।			To	
15	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी/ अर्द्धसरकारी बिजली बिल/ मकान/ वाहन कर/ वाहन इंश्योरेंस का भुगतान लम्बित नहीं है।			To	
16	संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है एवं ना ही किसी भी न्यायालय में वाद/ सुनवाई के क्रम में अथवा हस्तक्षेप पर कार्यादेश/ एकरारनामा रद्द किया गया है तथा ना ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है।			To	
17	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (स्थाई/ अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का सक्षम पुदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण—पत्र।			To	
18	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (स्थाई/ अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का पुलिस अधीक्षक/ सक्षम पुलिस पुदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र।			To	
19	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का आधार कार्ड प्रति।		X	To	
20	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का पैन कार्ड की प्रति।		X	To	
21	श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत			To	

	<p>श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय/मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को कर्मियों के बैंक खाता में मानदेय/मजदूरी, का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।</p>		
22	<p>संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए)। (A) मेरे द्वारा किसी भी परिस्थिति में वर्तमान अथवा भविष्य में शराब निर्माण / बिक्री / परिचालन नहीं किया जायेगा एवं ना ही उपभोग किया जायेगा। (B) अपने जीवन में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करूँगा / करूँगी। (C) अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा सेवन करने से बचाने का भरपूर प्रयास करने सहित नशा—मुक्त रखने में पूरा सहयोग करूँगा / करूँगी। (D) भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा बनाये गये नशे से सम्बंधित सभी कानूनों का पालन ईमानदारी पूर्वक करूँगा / करूँगी। (E) वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग करूँगा / करूँगी। (F) मेरे द्वारा कभी भी दहेज नहीं लिया जायेगा एवं ना ही दहेज दिया जायेगा। (G) मेरे द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं करने एवं व्यवहार में कभी पाये जाने के आलोक में कभी भी मुझे हटाया जा सकता है।</p>	To	
23	<p>संस्था द्वारा कार्य में लापरवाही एवं गुणवत्ता में असंतोषजनक पाये जाने पर संस्थान द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण व स्पष्टीकरण का जवाब के आलोक में तीन बार असंतोष स्पष्टीकरण पाये जाने पर एकरारनामा एवं कार्यादेश रद्द करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।</p>	To	
24	<p>संस्था द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरक्षण पालन किया जायेगा।</p>	To	
25	<p>संस्था पर भारत सरकार/भारत के किसी भी राज्य सरकार सहित बिहार राज्यान्तर्गत बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग / कार्यालय / संस्थान / स्वास्थ्य संस्थान सहित सरकारी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट—सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार—बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश / एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष / कार्य असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तोनुकूल क्रमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ</p>	To	

<p>संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण—पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो।</p>			
कुल योग:-			

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का पदनाम :-

निविदादाता का पैन नं0 :-

निविदादाता का आधार नं0 :-

निविदादाता का मो0 नं0 :-

संस्था का नाम :-

संस्था का ई—मेल :-

Gopal
26.1.24

mp
25.1.24

Bandra
25.1.24

निविदादाता की पूर्ण विवरणी (शर्त “ख” का क्रमांक 01) का प्रारूप


01	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का पूरा नाम :—	
02	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का कार्यालय का पूरा पता :—	
03	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पद नाम :—	
04	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पूरा नाम :—	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का जन्म तिथि :—	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता के पिता का नाम :—	
07	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पैन नं० :—	
08	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का आधार नं० :—	
09	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का मोवाईल नं० :—	
10	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का ई—मेल :—	

निविदादाता का हस्ताक्षर :—

निविदादाता का पूरा नाम :—

निविदादाता का पदनाम :—

संस्था का नाम :—


 25.1.24

 25.1.24

 25.1.24

वित्तीय निविदा का प्रारूप

<p>निविदा शर्त (क एवं ग) का बिन्दुवार एवं क्रमवार शर्तोनुकूल दर्शाई गई कार्यों के अवलोकनार्थ कुल योग जोड़कर एकमुश्त दर अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा।</p>	<p>कपड़ों की धुलाई प्रतिकपड़ा के आधार पर प्रतिदिन का एकमुश्त दर :- (अंक एवं शब्द में लिखना है)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">बड़ा कपड़ा यथा— बेडशीट (चादर), कम्बल, पर्दा, मच्छरदानी, ओ0टी0 गाउन, ओ0टी0 तौलिया (बड़ा), वगैरह।</td><td style="width: 50%;">छोटा कपड़ा यथा— डॉक्टर ऐपरॉन, ओ0टी0 कर्मी ऐपरॉन, तकिया कवर, टेबल क्लॉथ, कुर्सी तौलिया, कुर्सी कवर, ओ0टी0 ड्रेस, ओ0टी0 तौलिया (छोटा), रोगी ड्रेस, वगैरह।</td></tr> </table>	बड़ा कपड़ा यथा— बेडशीट (चादर), कम्बल, पर्दा, मच्छरदानी, ओ0टी0 गाउन, ओ0टी0 तौलिया (बड़ा), वगैरह।	छोटा कपड़ा यथा— डॉक्टर ऐपरॉन, ओ0टी0 कर्मी ऐपरॉन, तकिया कवर, टेबल क्लॉथ, कुर्सी तौलिया, कुर्सी कवर, ओ0टी0 ड्रेस, ओ0टी0 तौलिया (छोटा), रोगी ड्रेस, वगैरह।
बड़ा कपड़ा यथा— बेडशीट (चादर), कम्बल, पर्दा, मच्छरदानी, ओ0टी0 गाउन, ओ0टी0 तौलिया (बड़ा), वगैरह।	छोटा कपड़ा यथा— डॉक्टर ऐपरॉन, ओ0टी0 कर्मी ऐपरॉन, तकिया कवर, टेबल क्लॉथ, कुर्सी तौलिया, कुर्सी कवर, ओ0टी0 ड्रेस, ओ0टी0 तौलिया (छोटा), रोगी ड्रेस, वगैरह।		
<p>संस्थान अन्तर्गत उपयोग में आने वाली सभी प्रकार के कपड़ों की आवश्यकतानुकूल प्रतिदिन/समय— समय पर धुलाई एवं ऑयरन सहित सेनेटाईज (भविष्य में भिन्न-भिन्न प्रकार के कपड़ों की बढ़ोतरी संबंधित सम्भावना को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा बड़ा, छोटा कपड़ा का गणना निर्धारित किया जायेगा) करने (अच्छी गुणवत्ता वाली सभी सामग्री/उपकरण) हेतु निविदा में बिन्दुवार एवं क्रमवार शर्तोनुकूल दर्शाई गई कार्यों के अवलोकनार्थ सभी प्रकार का खर्च जोड़कर प्रतिकपड़ा के आधार पर प्रतिदिन का एकमुश्त दर :-</p>			

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का पदनाम :-

निविदादाता का पैन नं0 :-

निविदादाता का आधार नं0 :-

निविदादाता का मो0 नं0 :-

संस्था का नाम :-

संस्था का ई-मेल :-

25/1/24
GPT

25/1/24
mm

Banda
25/1/24

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 14 के आलोक में)

मैं जन्म तिथि आधार नं०—.....

पिता— माता—
पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)— मुहल्ला— वार्ड नं०—.....

पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—
जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)— मुहल्ला— वार्ड नं०—.....

पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—
जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैं

संस्था
में (पदधारक का पदनाम) के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे नाम पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में बिन्दुवार शर्तोनुकूल शपथ—पत्र के विरुद्ध कार्य करने से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है अथवा संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है, तो उक्त परिस्थिति में संस्था का एकरारनामा रद्द कर संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु संस्थान के सक्षम पदाधिकारी स्वतंत्र होगें।

शपथ कर्ता

25.1.24

25.1.24

Banda
25.1.24

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 15 के आलोक में)

मैं..... जन्म तिथि..... आधार नं०.....

पिता—..... माता—.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)—..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)—..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैं संस्था.....

में (पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे नाम पर पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी / अर्द्धसरकारी बिजली बिल / मकान कर / वाहन कर / वाहन इंश्योरेंस का भुगतान लम्बित नहीं है।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में बिन्दुवार शर्तानुकूल शपथ—पत्र के विरुद्ध कार्य करने से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है अथवा संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है, तो उक्त परिस्थिति में संस्था का एकरानामा रद कर संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु संस्थान के सक्षम पदाधिकारी स्वतंत्र होगें।

शपथ कर्ता

*CWT
25-1-24*

*MW
25-1-24*

*Bandra
25-1-24*

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 16 के आलोक में)

मैं जन्म तिथि— आधार नं०—

पिता— माता—
पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)— मुहल्ला— वार्ड नं०—

पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—

जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।
पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)— मुहल्ला— वार्ड नं०—

पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—

जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैं संस्था
में (पदधारक का पदनाम) के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है एवं ना ही किसी भी न्यायालय में वाद / सुनवाई के क्रम में अथवा हस्तक्षेप पर कार्यादेश / एकरारनामा रद्द किया गया है तथा ना ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है,

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में बिन्दुवार शर्तोनुकूल शपथ—पत्र के विरुद्ध कार्य करने से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है अथवा संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है, तो उक्त परिस्थिति में संस्था का एकरारनामा रद्द कर संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु संस्थान के सक्षम पदाधिकारी स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्ता

25/1/24 25/1/24 25/1/24

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 21 के आलोक में)

मैं जन्म तिथि आधार नं०—

पिता— माता—

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)— मुहल्ला— वार्ड नं०—

पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—

जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)— मुहल्ला— वार्ड नं०—

पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—

जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशेहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैं

संस्था के पद पर हूँ।
मैं (पदधारक का पदनाम).....

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय / मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को कर्मियों के बैंक खाता में मानदेय / मजदूरी, का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में बिन्दुवार शर्तोनुकूल शपथ—पत्र के विरुद्ध कार्य करने से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है अथवा संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है, तो उक्त परिस्थिति में संस्था का एकरारनामा रद्द कर संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु संस्थान के सक्षम पदाधिकारी स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्ता

25.1.24
Gopal

25.1.24

25.1.24
Sandeep

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 22 के आलोक में)

मैं..... जन्म तिथि—..... आधार नं०—.....

पिता—..... माता—.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)—..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)—..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैं

संस्था..... के पद पर हूँ।
मैं (पदधारक का पदनाम).....

(03) (A) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी परिस्थिति में वर्तमान अथवा भविष्य में शराब निर्माण / बिक्री / परिचालन नहीं किया जायेगा एवं ना हीं उपभोग किया जायेगा।

(B) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि अपने जीवन में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करूँगा / करूँगी।

(C) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा सेवन करने से बचाने का भरपूर प्रयास करने सहित नशा—मुक्त रखने में पूरा सहयोग करूँगा / करूँगी।

(D) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा बनाये गये नशे से सम्बंधित सभी कानूनों का पालन ईमानदारी पूर्वक करूँगा / करूँगी।

(E) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग करूँगा / करूँगी।

(F) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा कभी भी दहेज नहीं लिया जायेगा एवं ना हीं दहेज दिया जायेगा।

(G) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं करने एवं व्यवहार में कमी पाये जाने के आलोक में कभी भी मुझे हटाया जा सकता है।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में बिन्दुवार शर्तोनुकूल शपथ—पत्र के विरुद्ध कार्य करने से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है अथवा संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है, तो उक्त परिस्थिति में संस्था का एकरानामा रद्द कर संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु संस्थान के सक्षम पदाधिकारी स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्ता

26.1.24

25.1.24

25.1.24

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 23 के आलोक में)

मैं.....	जन्म तिथि.....	आधार नं०.....
पिता—.....	माता—.....	
पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)—.....	मुहल्ला—.....	वार्ड नं०—.....
पोस्ट—.....	थाना—.....	अनुमण्डल—.....
जिला—.....	राज्य—.....	में रहता / रहती हूँ।
पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)—.....	मुहल्ला—.....	वार्ड नं०—.....
पोस्ट—.....	थाना—.....	अनुमण्डल—.....
जिला—.....	राज्य—.....	में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैं

संस्था.....
में (पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि संस्था द्वारा कार्य में लापरवाही एवं गुणवत्ता में असंतोषजनक पाये जाने पर संस्थान द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण व स्पष्टीकरण का जवाब के आलोक में तीन बार असंतोष स्पष्टीकरण पाये जाने पर एकरारनामा एवं कार्यादेश रद्द करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में बिन्दुवार शर्तानुकूल शपथ—पत्र के विरुद्ध कार्य करने से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है अथवा संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है, तो उक्त परिस्थिति में संस्था का एकरारनामा रद्द कर संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु संस्थान के सक्षम पदाधिकारी स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्ता

26.11.24

25.1.24

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 24 के आलोक में)

मैं जन्म तिथि आधार नं०.....

पिता— माता—
पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)— मुहल्ला— वार्ड नं०—

पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—
जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)— मुहल्ला— वार्ड नं०—

पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—
जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशेहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैं संस्था—

मैं (पदधारक का पदनाम) के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि संस्था द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरक्षण पालन किया जायेगा।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में बिन्दुवार शर्तोनुकूल शपथ—पत्र के विरुद्ध कार्य करने से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है अथवा संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है, तो उक्त परिस्थिति में संस्था का एकरारनामा रद्द कर संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु संस्थान के सक्षम पदाधिकारी स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्ता

25.1.24
Gopal

25.1.24
Brijesh

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 25 के आलोक में)

मैं..... जन्म तिथि—..... आधार नं०—.....

पिता—..... माता—.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)—..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)—..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैं

संस्था..... में (पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि संस्था पर भारत सरकार / भारत के किसी भी राज्य सरकार सहित बिहार राज्यान्तर्गत बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग / कार्यालय / संस्थान / स्वास्थ्य संस्थान सहित सरकारी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट-सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश / एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष / कार्य असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तेनुकूल कमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों / प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों / सक्षम विभाग / सक्षम कार्यालय / सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में बिन्दुवार शर्तेनुकूल शपथ—पत्र के विरुद्ध कार्य करने से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है अथवा संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है, तो उक्त परिस्थिति में संस्था का एकरारनामा रद्द कर संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर संस्था द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु संस्थान के सक्षम पदाधिकारी स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्ता

मेरा १२०
३५.१.२४

मेरा १२०
३५.१.२४

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।
कपड़ों की धुलाई से संबंधित तिथिवार विवरणी हेतु लॉग बुक।

सुबह 06 बजे से अपराह्न 02 बजे तक

अपराह्न 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक

रात्रि 10 बजे से अगले दिन सुबह 06 बजे तक

कुल योग :-

संस्था के सक्षम पदधारक का हस्ताक्षर

संस्थान के सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “घ” का क्रमांक 03 के आलोक में, जो निविदा चयन के पश्चात् संस्था द्वारा दिया जायेगा।) मैं..... जन्म तिथि—..... आधार नं०—.....

पिता—..... माता—.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)—..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)—..... मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैं

संस्था..... में (पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) (A) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे नाम पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय / थाना / विभाग / कार्यालय / संस्थान / संस्था द्वारा दण्डित किया गया है।

(B) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी परिस्थिति में वर्तमान अथवा भविष्य में शराब निर्माण / बिक्री / परिचालन नहीं किया जायेगा एवं ना ही उपभोग किया जायेगा।

(C) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि अपने जीवन में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं करूँगा / करूँगी।

(D) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा सेवन करने से बचाने का भरपूर प्रयास करने सहित नशा-मुक्त रखने में पूरा सहयोग करूँगा / करूँगी।

(E) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा बनाये गये नशे से सम्बंधित सभी कानूनों का पालन इमानदारी पूर्वक करूँगा / करूँगी।

(F) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग करूँगा / करूँगी।

(G) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा कभी भी दहेज नहीं लिया जायेगा एवं ना ही दहेज दिया जायेगा।

(H) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक, चरित्र, आवास, जाति कोटि सहित अन्य कागजात साक्षात्कार के समय जमा कि गई है, जो सही एवं सत्य है।

(I) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

(J) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे नाम पर पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी/अर्द्धसरकारी बिजली बिल/मकान कर/वाहन कर/वाहन इंश्योरेंस का भुगतान लम्बित नहीं है।

(K) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरी बहाली के समय किसी के दबाव अथवा स्वेच्छा से संस्था या संस्थान के किसी भी पदाधिकारी को किसी भी प्रकार की राशि का लेन देन मेरे द्वारा नहीं किया गया है।

(L) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी परिस्थिति में वर्तमान अथवा भविष्य में भर्ती रोगियों अथवा रोगी के परिजनों से किसी भी प्रकार की राशि का कभी भी लेन देन नहीं किया जायेगा।

(M) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि संस्था के द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत वर्तमान संस्थान में कार्य करने के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान अथवा संस्था में मैं कार्य नहीं करता/करती हूँ।

(N) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं करने एवं व्यवहार में कभी पाये जाने के आलोक में कभी भी मुझे हटाया जा सकता है।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ-पत्र के आलोक में बिन्दुवार शर्तोनुकूल शपथ-पत्र के विरुद्ध कार्य करने से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है अथवा संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है तो उक्त परिस्थिति में संस्थान/संस्था द्वारा मेरा एकरारनामा एवं नियुक्ति पत्र रद्द करते हुए मुझे पदमुक्त करने सहित प्राथमिकी दर्ज कर मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु संस्थान/संस्था के सक्षम पदाधिकारी स्वतंत्र होंगे।

शपथ कर्ता

Cpr
25.1.24

M
25.1.24

Bunka
25.1.24

(29)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0	आजट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कार्य संस्थान का पता।	आजट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्थान का पता।	संस्था के बैंक का नाम एवं IFSC No.	संस्था द्वारा संस्थान में अपने किये गये कार्यों की अवधि में प्रतिमाह (एत्रांक दिनांक सहित)	संस्था द्वारा संस्थान में अपने किये गये कार्यों की अवधि में कब से कब तक (तिथे एवं संघ्या सहित वर्ष)	संस्था द्वारा व्यवस्था के तहत कार्यों की अवधि में कब से कब तक (तिथे एवं संघ्या सहित वर्ष)	आजट- सोसिंग पर कार्य करने वाले कार्यों की अवधि में कब से कब तक (तिथे एवं संघ्या सहित वर्ष)	आजट- सोसिंग पर कार्य करने वाले कार्यों की अवधि में कब से कब तक (तिथे एवं संघ्या सहित वर्ष)	प्रतिदिन पदाप्त एवं नाखर प्रतिमाह	प्रतिदिन पदाप्त एवं नाखर प्रतिमाह	कर्मियों का कुल विभाग कर्मियों का नाम IFSC No.	कर्मियों का बैंक, साता (INSURANCE ESIC, E) No.	कर्मियों का बैंक, साता मानदेश में से जमा की गई ¹ राशि	संस्था द्वारा कर्मियों के बैंक साता मानदेश में से जमा की गई ¹ राशि									
1	जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राज केशीनगर, पटना।	जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राज केशीनगर, पटना।																					

निवेदिता का हस्ताक्षर :-

निवेदिता का पूरा नाम :-

निवेदिता का पदनाम :-

निवेदिता का पैन नं :-

निवेदिता का आधार नं :-

Signature
25/1/20पृष्ठा
25/1/20पृष्ठा
25/1/20

(30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	लोकनायक जयप्रकाश नाथराण अम्बात, साज वेशीनगर, पटना।	आडट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कर्य कराने वाली संस्थान का नाम एवं पता।	आडट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कर्य करने वाली संस्था का नाम एवं पता एवं ESIC, No.	संस्था के बैंक का नाम एवं IFSC No.	संस्थान में संस्थान में अपने किये गये कार्यों की अवधि में प्रतिमाह (एत्रांक दिनांक संहित)	संस्था द्वारा संस्थान में अपने किये गये कार्यों की अवधि में कार्य करने वाले कर्मियों का नाम एवं आधार नम्बर	संस्था द्वारा संस्था द्वारा कर्मियों का कुल पदाधार एवं त दिन की विवरणी	संस्था द्वारा विभाग के आधार प्रतिदिन के आधार पर निष्पात मानदेय	संस्था द्वारा विभाग के बैंक का बैंक, संख्या (INSURANCE E) No.	संस्था द्वारा कर्मियों का बैंक का बैंक, संख्या जना की गई राशि	संस्था द्वारा कर्मियों के बैंक का बैंक, संख्या मद में जना की गई राशि	संस्था द्वारा कर्मियों के बैंक का बैंक, संख्या मद में जना की गई राशि	संस्था द्वारा कर्मियों के बैंक का बैंक, संख्या मद में जना की गई राशि							
1	लोकनायक जयप्रकाश नाथराण अम्बात, साज वेशीनगर, पटना।	आडट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कर्य कराने वाली संस्थान का नाम एवं पता।	आडट- सोसिंग व्यवस्था के दिन कार्य करने वाले कर्मियों का नाम एवं आधार नम्बर	कर्मियों का कुल पदाधार एवं त दिन की विवरणी	कर्मियों का बैंक का बैंक, संख्या (INSURANCE E) No.	कर्मियों का बैंक का बैंक, संख्या जना की गई राशि	कर्मियों का बैंक का बैंक, संख्या मद में जना की गई राशि	कर्मियों का बैंक का बैंक, संख्या मद में जना की गई राशि	कर्मियों का बैंक का बैंक, संख्या मद में जना की गई राशि	कर्मियों का बैंक का बैंक, संख्या मद में जना की गई राशि										

निविदाता का हस्ताक्षर :-

निविदाता का पूरा नाम :-
निविदाता का पदनाम :-

निविदाता का पैन नं :-

निविदाता का आधार नं :-



प्राप्ति
प्राप्ति
प्राप्ति
प्राप्ति

25.1.2
प्राप्ति
प्राप्ति
प्राप्ति
प्राप्ति

(31)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0	आउट्ट-सर्विसिंग कंपनी के तहत कर्मचारी कराने वाली संस्थान का नाम एवं पता।	आउट्ट-सर्विसिंग कंपनी के बैंक IFSC No. का नाम एवं संख्या ESIC, No.	संस्थान का नाम एवं कार्यालयों का नाम एवं संख्या एवं दिनांक	संस्थान में अपने किये गये कार्यों के आलोक में प्रतिशाह जमा कि गई विपत्र पर अकित क्रम संख्या सहित तिथि एवं वर्ष।	संस्थान में अपने किये गये कार्यों के आलोक में प्रतिशाह जमा कि गई विपत्र पर अकित क्रम संख्या सहित तिथि एवं वर्ष।	आउट्ट-सर्विसिंग कंपनी का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	श्रम कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर	कार्यों का कुल बौद्धिक विवरणी का नाम एवं नम्बर
1	जर्दप्रकाश नारायण अस्पताल, राज वेश्वीनाराय पट्टना।	कपड़ों की छुलाई																					
0	लोकनायक जर्दप्रकाश नारायण अस्पताल, राज वेश्वीनाराय पट्टना।																						

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का पदनाम :-

निविदादाता का आधार नं० :-

निविदादाता का मोबाइल नं० : 25-1-24

(32)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	लोकनायक जरप्रकाश नाथयण अध्यक्षाल, राज वंशीनगर, पटना।																			
1	जरप्रकाश नाथयण अध्यक्षाल, राज वंशीनगर, पटना।																			

निवेदादाता का हस्ताक्षर :-

निवेदादाता का पूरा नाम :-
निवेदादाता का पदनाम :-
निवेदादाता का पैन नं० :-

निवेदादाता का आधार नं० :-

 25.1.2024

(33)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	आउट-आउट-	आउट-	संख्या के बैंक का नाम एवं IFSC No.	संख्यान में द्वारा निर्णीत 1/सेवा विस्तार विस्तार का नाम एवं पता एवं EPF, No.	संख्या द्वारा संख्यान में अपने किये गये कार्यों के आलोक में प्रतिमाह जमा कि गई विपत्र पर अंकित क्रम संख्या तिथि	संख्या द्वारा संख्यान में अपने किये गये कार्यों के आलोक में प्रतिमाह जमा कि गई विपत्र पर अंकित क्रम संख्या तिथि	संख्या द्वारा संख्यान में अपने किये गये कार्यों के आलोक में प्रतिमाह जमा कि गई विपत्र पर अंकित क्रम संख्या तिथि	आउट-आउट-	आउट-	कमियों का कुल उपस्थिति एवं नोबाइल नम्बर																
0	लोकनायक जयप्रकाश नाथयण अस्पताल, राज चेष्टीनार, पटना।																									
1																										

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-
निविदादाता का पदनाम :-निविदादाता का पैन नं० :-
निविदादाता का आधार नं० :-

निविदादाता का नोबाइल नं० :-



 Date: 25.12.2019
 Author: [Signature]

(34)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राज चंशीनगर, पटना।	आडट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्थान का नाम एवं पता।	आडट- सोसिंग के बैंक का नाम एवं IFSC No.	संस्थान में संस्थान द्वारा किये गये कार्यों के आलोक दिस्तार (प्राकृ तिकांक दिनांक संहित)	संस्था द्वारा संस्थान में अपने किये गये कार्यों के आलोक दिस्तार की विवरणी	कर्मियों का कुल द्वारा किये गये कार्यों के आलोक दिन/ दिन कार्यों के आधार पर प्रतिशिखा संख्या संहित तिथि	कर्मियों का बैंक ब्याज कर्मियों का बैंक EPF. (UAN) No.	कर्मियों का बैंक ब्याज कर्मियों का बैंक EPF का मद में जमा की गई राशि मनदेय मानदेय	संस्था द्वारा कर्मियों के बैंक कर्मियों के बैंक EPF का मद में जमा की गई राशि मनदेय एवं प्राप्ति तिथि											
1	लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राज चंशीनगर, पटना।	आडट- सोसिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्थान का नाम एवं पता।	आडट- सोसिंग के बैंक का नाम एवं IFSC No.	कर्मियों की भुलाई																

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-
निविदादाता का पदनाम :-
निविदादाता का पैन नं :-

निविदादाता का आधार नं :-

(35)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	लोकनायक जयप्रकाश नाथयण अस्पताल, साज वेश्वीनगर, पटना।	कपड़ों की छुलाई																		
1																				

निवेदिता का हस्ताक्षर :-

निवेदिता का पूरा नाम :-
निवेदिता का पदनाम :-निवेदिता का पैन नं :-
निवेदिता का आधार नं :-निवेदिता का मोबाइल नं :-
25.1.24

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का पैन नं० :-

निविदादाता का मोबाइल नं० :-

مکالمہ

~~100~~

(37)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
०	आउट-सोसिएट व्यवस्था के तहत कर्तवाली संस्थान का नाम एवं पता।	आउट-सोसिएट के बैंक व्यवस्था के तहत कर्तवाली संस्था का नाम एवं पता।	संस्थान में संचालन में अपने किये गये कार्यों के आलोकन में प्रतिमाह जमा के गई विषय पर अधिकतत्वान्वयन द्वारा दिया गया अवकाश के दिन/दिवांक सहित दिन पर करने वाले कर्तवाली संस्था तिथि	संस्थान में संचालित कार्यों द्वारा की जाने वाली दिन/दिवांक सहित दिन पर करने वाले कर्तवाली संस्था तिथि	कर्मियों का नाम															
१	जराप्रकाश नासरयण अस्पताल, राज केशीनगर, पटना।	जराप्रकाश नासरयण अस्पताल, राज केशीनगर, पटना।	कर्मियों की धूलाई	कर्मियों की धूलाई	मानदेव															

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-
 निविदादाता का पदनाम :-

निविदादाता का पैन नं :-
 निविदादाता का आधार नं :-

निविदादाता का मेखाइल नं :-

५७३२
२५.१२५

५५२५
२५.१२५

(38)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
0	क्रमांक संख्या	आरट- सोसिएट व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्थान का नाम एवं पता एवं GST नम्बर	आरट- सोसिएट व्यवस्था के तहत कार्य करने वाली संस्था का नाम एवं पता एवं GST नम्बर	संस्था के बैंक का नाम एवं IFSC No.सहित संख्या	संस्थान में संस्थान में अपने किये गये कार्यों के आलोक में प्रतिमाह जमा किए गई ¹ प्रियंक दिनाक जाहेत)	संस्था द्वारा द्वारा निर्गत कार्यदेश /सेवा विस्तार (प्राचं दिनाक जाहेत)														
0	लोकनाय क जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राज वशीनगर, पटना जीहेत GST नम्बर	कार्यक्रमों की शुलाई																		

निविदादाता का हस्ताक्षर :-
 निविदादाता का पूरा नाम :-
 निविदादाता का पैन नं :-
 निविदादाता का आधार नं :-
 निविदादाता का मोबाइल नं :-

26.1.2024 10:55:12 AM
 GST 11/25

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निवेदादाता का पूरा नाम :-

निविदादता का पैन नं० :-

निविदादाता का आधार नं० :-

निवदादाता को मालाईल न० :-

Stamps
25.
25.
25.

Banda
25.1.24